**प्रेस विज्ञप्ति**

# भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय

**नई दिल्ली**
**12th अगस्त, 2026**

## 'संघ सरकार, रेल मंत्रालय (रेल वित्त) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन संख्या 30 वर्ष 2026 – 'संघ सरकार, रेल मंत्रालय (रेल वित्त)' संसद के दोनों सदनों के पटल पर आज प्रस्तुत किया गया है ।

यह प्रतिवेदन भारतीय रेल (IR) के वित्त एवं लेखों की विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रस्तुत करता है तथा मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षित खातों पर आधारित है।

यह प्रतिवेदन चार अध्यायों में संरचित है। अध्याय-I (वित्तीय स्थिति) भारतीय रेल की वित्तीय स्थिति का पिछले वर्ष के संदर्भ में तथा आय, व्यय, आरक्षित निधियाँ, परिचालन दक्षता आदि विभिन्न मानकों के आधार पर समग्र विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्याय-II (विनियोजन लेखे) मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय रेल के विनियोजन लेखों का सारांश एवं टिप्पणियाँ प्रस्तुत करता है। अध्याय-III (भारतीय रेल के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का वित्तीय प्रदर्शन) मार्च 2025 को समाप्त वर्ष हेतु रेलवे सार्वजनिक उपक्रमों का वित्तीय अवलोकन प्रस्तुत करता है। अध्याय-IV (भारतीय रेल में राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष (RRSK) का वित्तीय प्रबंधन) मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए RRSK के अनुपालन लेखापरीक्षण के निष्कर्ष प्रस्तुत करता है।

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन संख्या 30 वर्ष 2026 – संघ सरकार, रेल मंत्रालय (रेल वित्त) के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:

### <u>अध्याय-I : वित्तीय स्थिति</u>

• वर्ष 2024-25 के दौरान रेल मंत्रालय (MoR) का कुल व्यय ₹ 5,32,378.43 करोड़ था (पिछले वर्ष की तुलना में 3.36 प्रतिशत अधिक), जिसमें ₹ 2,69,360.63 करोड़ पूंजीगत व्यय (2.69 प्रतिशत अधिक) तथा ₹ 2,63,017.80 करोड़ राजस्व व्यय (4.03 प्रतिशत अधिक) शामिल था। कुल कार्यकारी व्यय का लगभग 76.83 प्रतिशत कर्मचारी लागत, पेंशन भुगतान तथा रोलिंग स्टॉक के लीज़ किराया शुल्क पर व्यय किया गया।

**(पैरा 1.1 एवं 1.4.1)**

• वर्ष 2024-25 में सकल यातायात प्राप्तियाँ ₹ 2,65,113.61 करोड़ रहीं, जो पिछले वर्ष (2023-24) की तुलना में 3.86 प्रतिशत अधिक थीं। कुल प्राप्तियों में वृद्धि मुख्यतः यात्री आय, अन्य कोचिंग आय

तथा मालभाड़ा आय में वृद्धि के कारण हुई। कोयले के परिवहन से मालभाड़ा आय का 51.68 प्रतिशत प्राप्त हुआ।

**(पैरा 1.1 एवं 1.2.3(a))**

• वर्ष 2024-25 में ₹ 2,660.28 करोड़ का शुद्ध अधिशेष रहा, जबकि पिछले वर्ष यह ₹ 3,259.68 करोड़ था। परिचालन अनुपात (OR) वर्ष 2024-25 में 98.22 प्रतिशत रहा, जबकि वर्ष 2023-24 में यह 98.43 प्रतिशत था।

**(पैरा 1.1)**

• मूल्यह्रास हेतु अपर्याप्त प्रावधान के परिणामस्वरूप 'थ्रो-फॉरवर्ड' (अधिवृद्ध आयु वाली परिसंपत्तियों के नवीनीकरण एवं प्रतिस्थापन) कार्यों का संचय बढ़कर वर्ष 2024-25 तक ₹ 6,448 करोड़ आंका गया।

**(पैरा 1.7.1)**

## अध्याय-II : विनियोजन लेखे

• राजस्व अनुदान (3002-03) (मतित) के अंतर्गत स्वीकृत बजट ₹ 74,541.34 करोड़ की तुलना में ₹ 2,702.41 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया गया।

**(पैरा 2.2.1)**

• वर्ष 2024-25 के दौरान 7 मामलों में ₹ 28,923.33 करोड़ की बचत हुई (राजस्व अनुदान 3002-03 एवं पूंजीगत अनुदान 5002-03 के अंतर्गत), जहाँ प्रत्येक मामले में बचत ₹100 करोड़ से अधिक थी।

**(पैरा 2.2.2)**

• MH 3001, 3002-03 (भारित) के अंतर्गत ₹126.33 करोड़ के अनुपूरक प्रावधानों के बावजूद संबंधित राजस्व प्रमुख शीर्षों में ₹41.56 करोड़ की बचत रही।

**(पैरा 2.5)**

• पूंजीगत अनुदान (5002-03) के मतित एवं भारित भागों में क्रमशः ₹377.31 करोड़ तथा ₹642.92 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान प्राप्त होने के बावजूद संबंधित पूंजीगत प्रमुख शीर्षों में क्रमशः ₹11,515.50 करोड़ तथा ₹238.86 करोड़ की बचत रही।

**(पैरा 2.5)**

• राजस्व से पूंजीगत अनुदान एवं इसके विपरीत, मतित से भारित एवं इसके विपरीत व्यय के गलत वर्गीकरण तथा अन्य त्रुटियाँ जैसे राजस्व से राजस्व अनुदान (उप-प्रमुख शीर्षों के मध्य), पूंजीगत से पूंजीगत अनुदान (रेलवे निधियों के मध्य) एवं राजस्व अनुदानों से आय में वर्गीकरण की त्रुटियाँ पाई गईं।

**(पैरा 2.7)**

• वर्ष 2024-25 के दौरान कुल व्यय का 2.55 प्रतिशत अर्थात ₹19,458.25 करोड़ का अनधिकृत व्यय 1,321 मामलों में किया गया।

**(पैरा 2.8)**

## अध्याय III : भारतीय रेल के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का वित्तीय प्रदर्शन

• मार्च 2025 तक रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में इक्विटी तथा ऋण का निवेश ₹5,43,860.07 करोड़ था, जिसमें ₹62,937.63 करोड़ की चुकता पूंजी तथा ₹4,80,922.44 करोड़ के दीर्घकालिक ऋण सम्मिलित थे। रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की चुकता शेयर पूंजी में भारत सरकार का योगदान ₹49,004.33 करोड़ (77.86 प्रतिशत) था। शेष ₹13,933.30 करोड़ की चुकता शेयर पूंजी का योगदान वित्तीय संस्थानों (5.40 प्रतिशत), केंद्रीय सरकारी कंपनियों (5.77 प्रतिशत) तथा राज्य सरकार/राज्य सरकार की कंपनियों (10.97 प्रतिशत) द्वारा किया गया था।

**(पैरा 3.2.1)**

• रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का शुद्ध लाभ वर्ष 2020-21 में ₹7,071.14 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2024-25 में ₹12,661.03 करोड़ हो गया।

**(पैरा 3.3.1)**

• कुल 45 रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में से 38 रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (11 रेलवे कंपनियाँ, 17 सहायक कंपनियाँ, चार संयुक्त उपक्रम (JVs) तथा छह विशेष प्रयोजन वाहन (SPVs)) ने वर्ष 2024-25 के दौरान ₹12,837.56 करोड़ का लाभ अर्जित किया। केवल 14 रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सात रेलवे कंपनियाँ, तीन सहायक कंपनियाँ, एक संयुक्त उपक्रम तथा तीन विशेष प्रयोजन वाहन) ने फरवरी 2018 के DIPAM निर्देशों के अनुसार लाभांश घोषित किया, जिनमें यह प्रावधान था कि प्रत्येक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (CPSE) कर पश्चात लाभ (Profit after Tax) का न्यूनतम 30 प्रतिशत अथवा निवल संपत्ति (Net Worth) का चार प्रतिशत, जो भी अधिक हो, लाभांश के रूप में भुगतान करेगा।

**(पैरा 3.3.2)**

• 31 मार्च 2025 को सात सूचीबद्ध रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का कुल बाजार पूंजीकरण ₹3,71,249.38 करोड़ था।

**(पैरा 3.4)**

## अध्याय-IV : भारतीय रेल में राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष (RRSK) का वित्तीय प्रबंधन

• रेलवे ने अनुमानित आंतरिक संसाधनों का केवल एक छोटा हिस्सा ही योगदान किया, जिसके कारण लक्षित RRSK कोष का निर्माण नहीं हो सका। RRSK के पहले पाँच वर्षों में भारतीय रेल ने अनुमानित ₹25,000 करोड़ के मुकाबले केवल ₹5,324.62 करोड़ का योगदान किया, जो लक्ष्य का मात्र 21.30 प्रतिशत था।

**(पैरा 4.9.1.1)**

• 20,304 से अधिक सुरक्षा-संबंधी कार्य अपूर्ण रहे, जो अपेक्षित सुरक्षा परिणामों की प्राप्ति में विलंब को दर्शाता है।

**(पैरा 4.9.1.2)**

• RRSK के अंतर्गत ₹823.14 करोड़ की राशि गैर-प्राथमिकता कार्यों पर आवंटित की गई, जो निर्धारित प्राथमिकता ढाँचे के विपरीत थी और इससे महत्वपूर्ण सुरक्षा परियोजनाओं के लिए उपलब्ध संसाधन कम हुए।

**(पैरा 4.9.2.1)**

• बजट अनुदान के बिना व्यय, अपर्याप्त उपयोग, अवास्तविक बजट निर्माण तथा बजट अनुदान से अधिक व्यय के मामले देखे गए।

**(पैरा 4.9.2.2)**

• वर्ष 2022-23 से 2024-25 के दौरान RRSK की ₹3,397.60 करोड़ राशि गैर-प्राथमिकता कार्यों पर उपयोग की गई, जिससे महत्वपूर्ण सुरक्षा परियोजनाओं के लिए उपलब्ध संसाधन कम हुए और कोष के मूल सुरक्षा उद्देश्यों का क्षरण हुआ।

**(पैरा 4.9.3.1)**

• RRSK लागू होने के बाद DRF एवं DF में अंशदान तथा निकासी में तीव्र गिरावट आई। DRF एवं DF में अंशदान क्रमशः 87.05 प्रतिशत और 60.82 प्रतिशत घटा, जबकि निकासी क्रमशः 88.96 प्रतिशत और 66.17 प्रतिशत कम हुई, जो नवीनीकरण, प्रतिस्थापन एवं सुरक्षा कार्यों के वित्तपोषण में DRF/DF से RRSK की ओर महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाती है।

**(पैरा 4.9.3.4.1)**

• RRSK-वित्तपोषित प्रचलित कार्यों के लिए ₹2,29,354 करोड़ की बड़ी थ्रो-फॉरवर्ड देयता विद्यमान थी, जिसमें ₹93,372 करोड़ पूर्णतः वित्तपोषित परियोजनाओं तथा ₹1,35,982 करोड़ आंशिक रूप से वित्तपोषित परियोजनाओं से संबंधित थे। यह सुरक्षा-संबंधी कार्यों के बड़े लंबित भार को दर्शाता है।

**(पैरा 4.9.4)**